REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052023-246054 CG-DL-E-25052023-246054

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 2023/ज्येष्ठ 4, 1945 No. 315] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2023/JYAISHTHA 4, 1945

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2023

सा.का.नि. 389(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (नए संसद भवन के उदघाटन के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. सिक्के का मूल्यवर्ग.-** नए संसद भवन के उदघाटन के अवसर पर केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में पचहत्तर रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा ।

**3. सिक्के की विमाएं और संरचना.-** नियम 2 में उल्लिखित उपरोक्त मूल्य वर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारे की संख्या	धातु संयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
पचहत्तर रुपये	वृत्ताकार	200	चतुर्थक मिश्र धातु
	44 मिलीमीटर		रजत - 50 प्रतिशत
			तांबा - 40 प्रतिशत
			निकिल - 05 प्रतिशत
			जस्ता - 05 प्रतिशत

4. डिज़ाइन.- सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

**5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.-** नए संसद भवन के उदघाटन के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए उपरोक्त मूल्य वर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

# पहली अनुसूची (नियम 4 देखें)

## पचहत्तर रुपये

## अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में "भारत" शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में "INDIA" शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक "₹" और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "75" भी होगा ।

## पृष्ट भाग:

सिक्के के इस भाग में संसद संकुल का चित्र होगा। सिक्के के उपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में "संसद संकुल" लिखा होगा और निचली परिधि पर अंग्रेजी में "PARLIAMENT COMPLEX" लिखा होगा। संसद संकुल के चित्र के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंको में वर्ष "2023" लिखा होगा।

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार				
		संयोजन में	मानक वजन में			
(1)	(2)	(3)	(4)			
पचहत्तर रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500वां हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् चांदी का अंश प्रति 1000 में 498 से 502 के बीच हो सकेगा।	1/100वां हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक हो सकता है।			

दूसरी अनुसूची (नियम 5 देखें)

> [फा. सं. 02/17/2023-सिक्का] अवनीश कुमार मिश्रा, उप-महानिदेशक

### MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Economics Affairs)

### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 25th May, 2023

**G.S.R. 389(E)**.—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of Inauguration of New Parliament Building) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin**.- The coin of Seventy Five Rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of Inauguration of New Parliament Building.

3. **Dimension and composition of coin**.- The coin of the above denomination mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:-

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Seventy Five Rupees	Circular 44 millimeter	200	Quaternary Alloy Silver - 50 per cent. Copper - 40 per cent. Nickel - 05 per cent. Zinc - 05 per cent.

4. **Design**.- The design of the coin shall be as specified in the First Schedule.

5. **Standard weight and remedy allowed**.- The standard weight of the coin of above denomination coined to commemorate the occasion of Inauguration of New Parliament Building and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule.

## The First Schedule (See rule 4) SEVENTY FIVE RUPEES

#### **OBVERSE:**

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed

below, flanked on the left periphery with the word "भारत" in Devnagri script and on the right periphery with the word "INDIA" in English. It shall also bear the Rupee symbol "₹" and denominational value "75" in the international numerals below the Lion Capitol.

#### **REVERSE:**

This face of the coin shall bear the image of Parliament Complex. The inscription "संसद संकुल" shall be written in Devnagari script on the upper periphery and the inscription "PARLIAMENT COMPLEX" in English shall be written on the lower periphery of the coin. The Year "2023" in International numeral shall be written below the image of Parliament Complex.

#### The Second Schedule (See rule 5)

Denomination of	Standard weight	Remedy allowed		
the coin		In composition	In standard weight	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Seventy Five Rupees	35 Grams	1/500 <sup>th</sup> plus or minus for Silver, that is to say, the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 <sup>th</sup> plus or minus, that is to say, the weight could vary from 34.65 grams to 35.35 grams.	

[F. No. 02/17/2023-Coin]

AVANISH KUMAR MISHRA, Dy. Director General